न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 67/2019 | **दायर दिनांकः 03.12.2019**

उनवान

1. प्रहलाद पिता चन्दर (चन्द्र) जाति तेली (राठौड़) नि. सनोरिया तह. सुनेल
2. कचरूलाल पिता चन्दर जाति तेली (राठौड़) नि. सनोरिया तह. सुनेल
3. जतनबाई पुत्री चन्दर (चन्द्र) पत्नि रामकिशन जाति तेली (राठौड़) नि. सनोरिया तहसील सुनेल
4. धापूबाई पुत्री चन्दर (चन्द्र) पत्नि हरीप्रसाद जाति तेली (राठौड़) नि. सनोरिया तहसील सुनेल
5. दुर्गाबाई पुत्री चन्दर (चन्द्र) पत्नि राधेश्याम जाति तेली (राठौड़) नि. सनोरिया तहसील सुनेल
6. सुमित्राबाई पुत्री चन्दर (चन्द्र) पत्नि बालचन्द जाति तेली (राठौड़) नि. सनोरिया तहसील सुनेल
7. गुलाबबाई बेवा चन्दर (चन्द्र) जाति तेली (राठौड़) नि. सनोरिया तह. सुनेल

– वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सुनेल

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा.टी.एक्ट व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति विद्धान अभिभाषक –

अभिभाषक वादीगण – श्री हुकुमचन्द कुमावत
प्रतिवादी सं. 1 – पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक [illegible].2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:33:21 IST
Reason: SelfAttested

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है [illegible] ग्राम [illegible] पटवार हल्का बोलिया बुजुर्ग तहसील पिढ़ावा कि जमाबन्दी संवत 2072–2075 में दर्ज खाता सं. नया 215 खाता सं. पुराना 192 कि आराजी खसरा नं. 480 रकबा 03 बिधा

Scanned with OKEN Scanner

12 बिस्वा लगान 06 रूपये 30 पैसे वादीगण के गैर खातेदारी में दर्ज है नकल जमाबन्दी सलग्न वाद पत्र है। यह कि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2076 के अनुसार खसरा नं. 480 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा भूमि किस्म माल किस्म दर्ज होकर वादीगण के हिस्सा बराबर खातेदारी में आराजी में खरीफ फसल 3 बीघा पर सोयाबीन तथा 10 बिस्वा पर बगीचा लगा होकर रबी फसल में लहसुन 3 बीघा 12 बिस्वा पर फसल वादीगण ने प्राप्त की हैं तथा इस कृषि वर्ष में खरीफ कि फसल में सोयाबीन तैयार कर रखी कि फसल में लहसुन, धनीया, चना की बुआई कर रखी हैं इस प्रकार आराजी वादीगण के कब्जे काश्त में होकर वादीगण काश्त कर रहे है नकल खसरा गिरदावरी सलंग्न वाद पत्र है। यह कि उक्त वर्णित आराजी खसरा न. 480 वक्त सेटलमेन्ट मिसल बन्दोबस्त (खतौनी बन्दोवस्त) ग्राम सनोरिया तहसील पिड़ावा जिला झालावाड सम्वत् 2022 से 2041 पृष्ठ सं. 66 कम सं. 77 खाता नम्बर 77 कालम नं० 05 में दर्ज प्रविष्ठी चन्द्र वल्द नारान तेली सा. देह गेर खातेदार कालम नं. 6 में दर्ज प्रविष्ठी खसरा खेत 480 झिजावाला क्षेत्रफल कालम नं. 7 में 03 बीघा 12 बिस्वा दर्ज हैं। यह प्रविष्ठी वक्त सेटलमेन्ट वादीगण के पिता एवं पति को गेर खातेदार दर्ज किया गया जबकी वादीगण के पिता व पति ने खातेदार दर्ज होने कि पूर्ण पात्रता रखी हैं। इस प्रविष्ठि के कारण बाद के सम्सत राजस्व रिकार्ड, जमाबन्दी तैयार करते समय राजस्व कर्मचारी द्वारा इस तथ्य पर तथा इस प्रविष्ठि पर ध्यान आकृषित नहीं करते हुए निरन्तर गैर खातेदार दर्ज होता रहा इस प्रविष्ठि को भी निरन्तर लगभग 50 वर्ष का समय हो गया हैं। कब्जा निरन्तर वादीगण के पिता पति का रहा उनके जीवन काल में ही वादीगण इस पर काश्त करते रहे यह काश्त निरन्तर अखण्डीत निरन्तर जारी हैं परन्तु राजस्व रिकार्ड में वक्त सेटलमेन्ट गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया यह प्रविष्ठि गलत है इस कारण खातेदार दर्ज नहीं हुआ। यह कि खसरा नं. 480 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा भूमि पर वादीगण के पित्ता पति का पिछले लगभग 80 वर्षों से कब्जा काश्त है तथा उन्हें विरासत में मिला है परन्तु भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट के समय गलत प्रविष्ठि कर गैर खातेदार दर्ज किया है जो गलत है वादीगण इस प्रविष्ठि को शुद्ध करवा कर खातेदार घोषित होने की पात्रता रखते हैं। यह कि वादीगण को कभी

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:33:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

जीवन में राजस्व रिकार्ड लेने कि आवश्यकता नहीं हुई हैं इस कारण जमाबन्दी में गैर खातेदार की प्रविष्ठि का ज्ञान नहीं हो सका सर्वप्रथम इसका ज्ञान मार्च 2019 में हुआ जब वादीगण ने ऋण लेते समय अपनी अन्य खातेदारी की आराजी के राजस्व रिकार्ड के साथ इस आराजी का भी राजस्व रिकार्ड बनवाया तब संज्ञान में आया कि वक्त सेटलमेन्ट राजस्व रिकार्ड में गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया है जो गलत हैं। तथा यह प्रविष्ठि वादीगण के पिता एवं पति कि बिना सहमती, संज्ञान के एवं बिना उचित आधार एवं आदेश के दर्ज कि गयी है इस कारण वादीगण को माननीय न्यायालय में यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। खातेचार वर्ज होने कि प्रविष्ठि के पात्र अधिकारी वादीगण है। यह कि वाच कारण मार्च 2010 में उत्पन्न हुआ जब वादीगण ने राजस्व रिकार्ड प्राप्त किया तथा इसके पश्चात तहसील स्तर पर राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारीयो से गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करने के लिए प्रयासरत रहे है आश्वासन दिया गया परन्तु राजस्व रिकार्ड में खातेदार दर्ज नहीं हुआ यही बाद कारण निरन्तर जारी रहा। इस कारण वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ। यह कि विवादित आराजी ग्राम रानोरिया तहसील सुनेल में स्थित होने से माननीय न्यायालय को वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह कि बाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर अन्दर अवधि पेश है। यह कि वादीगण वाद पत्र पेश कर माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते हैं कि–

(अ) बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी खातेदारी की घोषणा की जावे कि ग्राम सनोरिया पटवार हल्का बोलीया बुजुर्ग तहसील सुनेल में स्थित आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 में दर्ज खाता सं नया 215 खाता सं. पुराना 192 कि आराजी खसरा नं. 480 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा खातेदारी मे दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड मे गैर खातेदार हटाकर खातेदार दर्ज किये जाने की डिकी जारी की जायें।

(ब) अन्य न्यायोचित राहत जो भी उचित एवं आवश्यक हो वादीगण को माननीय न्यायालय द्वारा जारी की जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:33:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

2\. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 पेरोकार सरकार द्वारा पत्रांक 205 दिनांक 02.03.2022 से जांच रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सं. 2072–75 खाता सं. 248 ख.नं. 480 क्षेत्रफल 0.9105 है., कचरूलाल, प्रहलाद, जतनबाई, दुर्गाबाई, धापूबाई, सुमित्राबाई पिस. चन्द्र जाति तेली सा. देह के गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक खसरा गिरदावरी सं. 2076–79 ग्राम सनोरिया के ख.न. 480 रखवा 0.9105 हे. में सवेत 2076 से 2078 तक फसल काश्त हो रही है जिसकी गिरदावरी नकल संलग्न है। मुताबिक मौका निरीक्षण के वादी प्रहलाद, कचरूलाल वगैरह ही ख.न. 480 रकबाा 0.9105 हे. पर फसल काश्त कर रहा है व मौके पर काबिज है। ततपश्चात पत्रांक 48 दिनांक 12.01.2023 से पुनः जांच रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि न्यायालय हाजा में अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी.एक्ट विचाराधीन राजस्व वाद प्रकरण संख्या 67/2019 बउनवान प्रहलाद बनाम सरकार तहसील सुनेल में वादी द्वारा ग्राम सनोरिया की आराजी ख.नं. 480 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि को गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया है। प्रकरण के निस्तारण हेतु विस्तृत मौके रिपोर्ट चाही गई है। इस संबंध में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सनोरिया में ख. नं. 480 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा मिसल बन्दोबस्त में गैर खातेदार दर्ज है। आवंटी सेटलमेंट से पूर्व का गैर खातेदार है। व सेटलमेंट से पूर्व का रिकॉर्ड पटवारी व तहसील कार्यालय हाजा में उपलब्ध नहीं है। आवंटी के खिलाफ धारा 14(4) की कोई कार्यवाही प्रक्रियाधीन नहीं है। व अन्य किसी न्यायालय में विवाद अथवा स्थगन भी नहीं है। आवंटी प्रार्थी का स्वयं का कब्जा है। व आराजी पर खुद स्वयं काश्त कर रहा है। अतः श्रीमान द्वारा चाही गई रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:33:21 IST
Reason: SelfAttested

3\. वादीगण द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजात [illegible] में ग्राम सनोरिया तहसील सुनेल के खाता सं. 77 जमाबंदी सं. 2022–41, खाता सं. 215 जमाबंदी सं. 2072–75, खसरा गिरदावरी सं. 2075, नक्शा ट्रेस दिनांक 28.06.2019,

Scanned with OKEN Scanner

खाता सं. 81 जमाबंदी सं. 2027–30, भू.प्रबंध विभाग की खसरा गिरदावरी सं. 2017–18, मिलान क्षेत्रफल, खसरा गिरदावरी सं. 2077–81, सं. 2072–75 की नकले पेश की।

4. पेरोकार सरकार द्वारा ग्राम सनोरिया तहसील सुनेल के खाता सं. 215 जमाबंदी सं. 2072–75, खसरा गिरदावरी सं. 2076–79, नक्शा ट्रेस पेश की।

5. अभिभाषक वादीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादीगण ने बहस के दौरान वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सनोरिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 480 रकबा 3–12 बीघा वादीगण की गैरखातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी है। उक्त आराजी वादीगण के पिता चन्दर पि. नारायण जाति तैली को आवंटन की जाकर दखल दी गई थी तब से लेकर आज तक पहले वादीगण के पिता चन्दर और उनकी मृत्यु के बाद वादीगण कब्जे काश्त चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का विगत 80 वर्षो से लगातार, अखण्डित एवं शांतिपूर्ण कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि के कुछ हिस्से पर संतरे का बगीचा भी लगा रखा है। खसरा गिरदावरी में वादीगण द्वारा ही फसल काश्त करना अंकित है। तहसीलदार सुनेल द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 02.03.2022 में वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का कब्जा व फसल काश्त होना स्वीकार किया है। तहसीलदार सुनेल ने अपनी रिपोर्ट/जवाब दिनांक 12.01.2023 में भी वादीगण आवंटी को सेटलमेंट से पूर्व से ही गैरखातेदार दर्ज होना और आवंटी वादीगण का ही कब्जा काश्त होना स्वीकार किया है। तहसीलदार सुनेल ने यह भी स्वीकार किया है कि आवंटी वादीगण के विरूद्ध नियम 14(4) के अधीन कोई कार्यवाही प्रकियाधीन नहीं है। वादीगण के पिता चन्दर के साथ साथ ग्राम सनोतिरया में कई अन्य लोगो को आवंटित की गई भूमि की गैरखातेदारी से खातेदारी दी जा चुकी है। तहसीलदार पिडावा द्वा[illegible]रिया के ही ख.नं. 63 रकबा 5–08 बीघा भूमि पर गुल[illegible] के वारीस[illegible] एवं ख.नं. 481 व 483 पर पूरा तैली के वारीसान को [illegible] है। अतः वादीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:33:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वाद स्वीकार किया जाकर वादीगण को वादग्रस्त आराजी पर गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज किया जावे।

6. पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पत्र दिनांक 02.03.2022 व दिनांक 12.01.2023 में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी सेटलमेंट के पूर्व से ही वादीगण के गैरखातेदारी में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजी पर स्वयं वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है और वादीगण की गैरखातेदारी के विरूद्ध आवंटन नियम 14(4) में कोई कार्यवाही/अपील प्रकियाधीन नहीं है। अतः वादीगण को गैरखातेदारी से खातेदारी दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

7. अभिभाषक वादीगण एवं पेरोकार सरकार तहसीलदार सुनेल की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सनोरिया की हाल जमाबंदी सं. 2074–77 एवं सं. 2072–75 के अनुसार वादग्रस्त आराजी ख.नं. 480 रकबा 0.9105 है. यानि 3–12 बीघा भूमि वादीगण की गैरखातेदारी में दर्ज है। ग्राम सनोरिया की भूप्रबंध विभाग राज. की जमाबंदी सं. 2022–41 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 480 रकबा 3–12 बीघा वादीगण के पिता चन्द वल्द नारायण तैली की गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी। अतः स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी कम से कम सं. 2022 से वादीगण के पिता चन्द्र एवं बाद में वादीगण की गैरखातेदारी में दर्ज रिकार्ड चली आ रही है लेकिन वादीगण द्वारा ना तो भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जारी किये गये आवंटन आदेश या आवंटन पटटा की प्रति पेश की गई है और ना ही राजस्व कार्मिको द्वारा आवंटन आदेश की पालना में दिये गये दखलनामा की प्रति पेश की है। आवंटन आदेश या आवंटन पटटा एवं दखलनामें के अभाव में वादग्रस्त भूमि को भूमि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आवंटन किया जाना सावित नहीं होता है। भू.प्रबंधन विभाग की जमाबंदी [illegible]–41 में प्रार्थी का नाम गैरखातेदार के रूप में कैसे दर्ज हुआ, इसका कोई [illegible] नहीं है और ना ही वादीगण द्वारा इसे सावित किया गया है। [illegible] द्वारा सेटलमेंट से पूर्व की वादग्रस्त आराजी की जमाबंदिया/राजस्व रिकार्ड भी पेश नहीं किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:33:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

संभावना है कि भूप्रबंध विभाग द्वारा भूप्रबंधन कार्य के दौरान वादीगण के पिता चन्द्र वल्द नारायण तैली को आवंटन आदेश के बिना ही सीधा सेंटलमेंट की जमाबंदी में गैरखातेदार दर्ज कर दिया हो।

वादीगण द्वारा पेश ग्राम सनोरिया तहसील सुनेल की खसरा गिरदावरी सं. 2072–75 में वादग्रस्त आराजी के कुछ हिस्से पर वादीगण ने संतरे का बगीचा एवं शेष भाग पर खरीफ में सोयाबीन एवं रबी में धनिया, खसरा गिरदावरी सं. 2075 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी के कुछ हिस्से पर वादीगण ने संतरे का बगीचा एवं शेष भाग पर खरीफ में सोयाबीन एवं रबी में लहसुन की फसल, खसरा गिरदावरी सं. 2076 में वादग्रस्त आराजी के कुछ हिस्से पर वादीगण ने संतरे का बगीचा एवं शेष भाग पर खरीफ में उडद एवं रबी में लहसुन, खसरा गिरदावरी सं. 2077 में वादग्रस्त आराजी के कुछ हिस्से पर वादीगण ने संतरे का बगीचा एवं शेष भाग पर खरीफ में उडद एवं रबी में धनिया, खसरा गिरदावरी सं. 2078 से 2081 में वादग्रस्त आराजी के कुछ हिस्से पर वादीगण ने फलदार संतरा एवं शेष भाग पर खरीफ में सोयाबीन एवं रबी में धनिया की फसल काश्त करना साबित होता है। अतः साबित है कि वादग्रस्त आराजी पर कम से कम सं. 2072 से वादीगण का लगातार कब्जा एवं फसल काश्त चला आ रहा है।

8. आवंटन सलाहकार समिति द्वारा राजस्थान भू.राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 (या नियम 1957) में आवंटित की गई भूमि को गैरखातेदारी में दर्ज होने के बाद खातेदारी अधिकार देने के प्रावधान नियम 18 में दिये गये है। वादीगण को नियम 18 के अधीन उल्लेखित शर्तो की पूर्ति के बाद सक्षम प्राधिकारी के समक्ष खातेदारी अधिकारो के लिए आवेंदन किया जाना चाहिए ना कि धारा 88 आर.टी.एक्ट के अधीन खातेदारी अधिकारो की घोषणा का वाद पेश करना चाहिए। सुविधा के लिए नियम 18 के प्रावधान निम्नानुसार है– <u>Rule</u> **<u>18. Conferment of Khatedari Rights.</u>** (1) The Tehsildar shall suo-moto confer Khatedari rights upon allottees after three years

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:33:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

of allotment, provided that the allottee fulfills all the terms and conditions of allotment during this period:

Provided that the person, to whom land was allotted as temporary cultivation lease holder or permanent allottee in colony area and such area was later on excluded from colony area, has continuous possession over the said land prior to 01.01.2001, such person shall be entitled to receive khatedari rights under these rules upto the ceiling limit applicable under the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holding Act, 1973.

(3) All persons who were allotted land on lease basis under and in accordance with notification No. F. 6(84) Revenue/VI/53, Dated 2-11-1953 and have been in continuous possession of such land shall be eligible for conferment of Khatedari rights as if such lease holder were allotted land under the provision of these rules.

(4) All persons, who were allotted land prior to dated 29.09.99, had not cultivated 50% of the land in the first year of allotment and the remaining area in the second year and their allotment has not been cancelled, shall be eligible for conferment of khatedari rights if they are cultivating said allotted land for the last three years and fulfils the other terms and conditions of allotment.

Provided that if such land was not within the urbanisable limit or peripheral belt of the urban area as mentioned in Sec. 90-A of the Act at the time of allotment and subsequently included in urbanisable limit or peripheral belt of urban area of Jaipur Development Authority, Jodhpur Development Authority, Ajmer Development Authority, Urban Improvement Trust or Municipal Corporation or Municipal Council, Khatedari right shall be conferred only with the prior approval of the Collector and on payment of 20% of market value of land as determined for the area by the District Level Committee and in

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:33:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

case of land subsequently included in the urbanisable limit or peripheral belt of Municipal Board, khatedari right shall be conferred only with the prior approval of Collector and on payment of 10% of market value of land determined for the area by the District Level Committee.

9. राज्य सरकार द्वारा जरिये नोटिफिकेशन दिनांक 01.12.2021 से आवंटन नियम 1970 में संशोधन कर नियम 18ए जोडकर ग्रामीण क्षेत्रो में ऐसे सभी व्यक्तियों जिनका नाम जमाबंदी में बिना किसी आवंटन आदेश के गैर खातेदार के रूप में दर्ज है और लगातार काबिज काश्त है तथा ऐसी भूमि प्रतिबंधित भूमि नहीं है तो वर्तमान डीएलसी दरो की 10 प्रतिशत राशि राजकोष में जमा कराये जाने के बाद खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकते है। सुविधा के लिए गजट नोटिफिकेशन का अवलोकन निम्नानुसार है–

GOVERNMENT OF RAJASTHAN REVENUE (GROUP-6)
DEPARTMENT

No.F.9(8)Rev-6/2017pt/135. Jaipur, Dated:- 01/12/2021

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (xviii) of sub-section (2) of section 261 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956). read with section 101 of the said Act, the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, namely:-

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) (Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force at once.

2. Insertion of new rule 18-A.- After the existing rule 18 and before the existing rule 19 of the Rajasthan Land Revenue (Allotment of Land for Agricultural Purposes) Rules, 1970, the following new rule 18-A shall be inserted, namely:-

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:33:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

"**18-A. Grant of Khatedari Rights in Certain Cases.** Subject to the provisions of the Act, the Tehsildar may on his own motion or on application of any person confer,-

(a) khatedari rights to such person if his name is entered as gair-khatedar in the Jamabandi (Khewat Khatauni) without any allotment order made under any rules made under the Act; or

(b) khatedari rights to such person if his name is entered as gair-khatedar in the Jamabandi (Khewat Khatauni) as per allotment order under these rules but due to any reason khatedari rights has not been granted,

to the extent of the ceiling area applicable under the Rajasthan Imposition of Ceiling on Agricultural Holdings Act, 1973 (Act No. 11 of 1973), if,-

(i) the name of applicant is entered as gair-khatedar in the Jamabandi (Khewat Khatauni) since 1.1.1981 and continuously recorded as such;

(ii) the applicant has been in continuous possession of such land;

(iii) land is falling in rural area;

(iv) such land does not fall within the categories specified in rule 4 of - these rules;

(v) no judicial proceedings are pending with respect to such land; and

(iv) applicant has deposited 10% of the market value of the such land calculated at the rate determined by the District Level Committee constituted under the Rajasthan Stamp Rules, 2004 for agricultural lands."

By order of the Governor,
01/12/2022
(Rameharan Sharma)
Deputy Secretary to the Government

10. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम रानोरिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.न. 180 रकबा 3-12 बीघा के संबंध में वादीगण का खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी.एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:33:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

—::क्रियात्मक आदेश::—

11. परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 आर.टी. एक्ट एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सुनेल ग्राम सनोरिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.न. 480 रकबा 3–12 बीघा पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर के नोटिफिकेशन कमांक No.F.9(8)Rev-6/2017pt/135 दिनांक 01.12.2021 के प्रावधानो की पालना करने एवं राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत वादीगण नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान करें।

यह निर्णय आज दिनांक 14.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/11/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:33:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 67/2019 दायर दिनांकः 03.12.2019

उनवान

1. प्रहलाद पिता चन्दर (चन्द्र) जाति तेली (राठौड़) नि. सनोरिया तह. सुनेल
2. कचरूलाल पिता चन्दर जाति तेली (राठौड़) नि. सनोरिया तह. सुनेल
3. जतनबाई पुत्री चन्दर (चन्द्र) पत्नि रामकिशन जाति तेली (राठौड़) नि. सनोरिया तहसील सुनेल
4. धापूबाई पुत्री चन्दर (चन्द्र) पत्नि हरीप्रसाद जाति तेली (राठौड़) नि. सनोरिया तहसील सुनेल
5. दुर्गाबाई पुत्री चन्दर (चन्द्र) पत्नि राधेश्याम जाति तेली (राठौड़) नि. सनोरिया तहसील सुनेल
6. सुमित्राबाई पुत्री चन्दर (चन्द्र) पत्नि बालचन्द जाति तेली (राठौड़) नि. सनोरिया तहसील सुनेल
7. गुलाबबाई बेवा चन्दर (चन्द्र) जाति तेली (राठौड़) नि. सनोरिया तह. सुनेल

— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील सुनेल

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 रा.टी.एक्ट व धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक —

अभिभाषक वादीगण — श्री हुकुमचन्द कुमावत

प्रतिवादी सं. 1 — पेरोकार सरकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:33:21 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल [illegible] ....x..........x..........

मिनजानित मुदई रूबरू ....x..........

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 [illegible] एक्ट एवं धारा 136 एल. आर.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सुनेल ग्राम

Scanned with OKEN Scanner

सनोरिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.न. 480 रकबा 3–12 बीघा पर राजस्व (ग्रुप–6) विभाग, जयपुर के नोटिफिकेशन कमांक No.F.9(8)Rev-6/2017pt/135 दिनांक 01.12.2021 के प्रावधानो की पालना करने एवं राशि राजकोष में जमा होने के उपरांत वादीगण नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्रदान करें।

14/11/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

निज ....X.................... मुबालिक ....X............. बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ...... X..............................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X............... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 14.11.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.12.30 17:33:21 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner